केबल ऑपरेटर्स की बैठक दिनांक 15.10.2018 का कार्यवाही विवरण

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी प्रियंका दास की अध्यक्षता में जिले के केबल नेटवर्क ऑपरेटर्स की बैठक नवीन कलेक्ट्रेट भवन के सभागार में 15 अक्टूबर को सांय 4 बजे से आयोजित की गई। बैठक में अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री के.डी त्रिपाठी , रिटर्निंग ऑफिसर होशंगाबाद श्री वृंदावन सिंह, रिटर्निंग ऑफिसर पिपरिया श्री आदित्य रिछारिया, डिप्टी कलेक्टर श्रीमति निधि सिंह गोहल तथा केबल नेटवर्क ऑपरेटर्स उपस्थित रहे।

बैठक में निम्नलिखित केबल ऑपरेटर्स उपस्थित रहेः–

(1) महेश चौकसे (एस आर डिजीटल होशंगाबाद)
(2) अनिल मिहानी (हैथवे एवं डिजीयाना केबल इटारसी)
(3) इकपाल जुनेजा (जे.जे. एसोसिएट पिपरिया)
(4) पीयूष सक्सेना (सिटी नेटवर्क होशंगाबाद)
(5) अतुल कुमार नीले (परफेक्ट डिजिटेक नेटवर्क इटारसी)
(6) कन्हैया गोस्वामी (एसीएन डिजीटल प्रायवेट लिमिटेड इटारसी)
(7) जितेंद्र जोझा (एसआर डिजीटल सिवनीमालवा)
(8) शेखर जयसवाल (बाबा चैनल होशंगाबाद)
(9) अनिल त्रिवेदी (डिजीयाना होशंगाबाद)

1. कलेक्टर प्रियंका दास ने सभी केबल ऑपरेटर्स को निर्देशित किया कि वे बिना एमसीएमसी द्वारा जारी प्रमाणपत्र देखे बिना राजनैतिक विज्ञापनों का प्रसारण अपने नेटवर्क से संचालित चैनल्स पर न करें। केबल ऑपरेटर्स को एमसीएमसी द्वारा जारी किए जाने वाले प्रमाणपत्र के प्रपत्र की प्रति मुहैया कराई गई।

2. कलेक्टर ने केबल ऑपरेटर्स से जिले के विभिन्न क्षेत्रो में संचालित केबल नेटवर्क एवं लोकल चैनलों की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने पिपरिया, इटारसी, होशंगाबाद में संचालित केबल नेटवर्क के ऑपरेटर्स को एस.डी.एम कार्यालय में अपना केबल कनेक्शन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए ताकि स्थानिय चैनलों पर विज्ञापन एवं पेड न्यूज की निगरानी की जा सकें।

3. कलेक्टर ने संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों को लोकल चैनलों की मॉनीटरिंग के लिए टीम गठित करने के निर्देश दिए ।

4. कलेक्टर ने केबल ऑपरेटर्स को निर्देशित किया कि वे उनके नेटवर्क पर संचालित लोकल चैनलो की जानकारी लिखित में उपलब्ध कराएँ। उन्होंने जनसंपर्क अधिकारी को इस कार्य के लिए प्रपत्र तैयार करने के निर्देश दिया। कलेक्टर ने कहा कि अगर बिना एमसीएमसी के अधिप्रमाणन के कोई केबल ऑपरेटर विज्ञापन प्रसारित करता है तो उसके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही करते हुए उसके उपकरण जप्त कर लिए जाएंगे।

5. कलेक्टर ने जनसंपर्क अधिकारी को केबल ऑपरेटर्स के लिए एक अलग वॉट्सएप ग्रुप बनाने के निर्देश दिया ताकि विज्ञापनों के प्रसारण के संबंध में निर्वाचन आयोग से प्राप्त निर्देशों को यथाशीघ्र उन तक पहुँचाया जा सके।

6. कुछ केबल नेटवर्क ऑपरेटर्स द्वारा अवगत कराया गया कि उनके द्वारा किसी भी लोकल चैनल अथवा विज्ञापन का प्रसारण नहीं किया जाता हैं। तत्संबंध में कलेक्टर द्वारा निर्देशित किया गया कि वे यह जानकारी लिखित में उपलब्ध कराएँ।

7. बैठक में केबल ऑपरेटरर्स को एमसीएमसी समिति के कार्यों एवं विज्ञापनों के अधिप्रमाणन से संबंधित जानकारी प्रेजेंटेशन के माध्यम से दी गई।

कलेक्टर
एवं जिला निर्वाचन अधिकारी
होशंगाबाद

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी होशंगाबाद

क्रमांक /2297 / ई.एस. / निर्वा. / 2018 होशंगाबाद,दिनांकः 17 / 10 / 2018

प्रतिलिपि :–

1. अनुविभागीय अधिकारी एवं रिटर्निंग आफिसर सर्व................................जिला होशंगाबाद की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. संबंधित .... की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

कलेक्टर
एवं जिला निर्वाचन अधिकारी
होशंगाबाद